296

404

न्यायालय मान्नीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

A510-2936-II/16 रीवा

01. मुस्ताक अहमद उम्र 50 वर्ष
02. मन्जूर अहमद उम्र 45 वर्ष
03. गुलफान अहमद मञ्ज 40 वर्ष
04. सुल्तान अहमद उम्र 38 वर्ष
05. गुलशेर अहमद उम्र 45 वर्ष – सभी के पिता मखमूल अहमद
06. इकबाल अहमद पिता सत्तार खॉ उम्र 70 वर्ष

उपरोक्त समस्त का पेशा खेती निवासी ग्राम लालगंज पोस्ट /थाना/तहसील/ नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 ————————**आवेदकगण**

विरूद्ध

01. भरोसा तनय समई अहिर उम्र 60 वर्ष
02. जगदीश अहिर उम्र 75 वर्ष
03. रामप्रसाद उम्र 60 वर्ष
04. राममिलन अहिर उम्र 57 वर्ष
05. रामनिहोर अहिर उम्र 55 वर्ष

कमांक 1 ता 5 के पिता बद्री प्रसाद अहिर सभी का पेशा खेती निवासी ग्राम लालगंज पोस्ट/थाना /तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

———**अनावेदकगण**

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्ध राजस्व प्रकरण कमांक 626अ12/06–07 मे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर

जिला रीवा म0प्र0 के द्वारा पारित आदेश
दिनांक – 30.06.2008 अन्तर्गत धारा 50
म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

01. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक – 23.06.2008 जिसे एतद् पश्चात आवश्यक्ता अनुसार विवादित आदेश कहा जावेगा, विधि व विधि प्रक्रिया के विंरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि विवादित आदेश द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता के रूप मे पक्षकार रहे है। इसके बावजूद भी अनावेदकगण ने अपने निगरानी मे आवेदकगण को पक्षकार नही बनाया था। आवेदकगण को बिना सुने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

03. यह कि अनावेदंकगण जो भरोसा वगै0 है इनके पक्ष मे विवादित भूमि नं0 168 का कोई भी अंश रकवा कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर भूमि स्वामी के खाने मे उनका या उनके अग्रजो का नाम दर्ज करने का आदेश नही दिया था। उनकी नाम की प्रबृिष्टि फर्जी प्रबृिष्टि है। प्रारम्भिक रूप से आवेदकगण की यह मुख्य आपत्ति विचारण न्यायालय के समख रही है,दूसरी मुख्य आपत्ति यह थी कि अनावेदकगण उक्त भूमि नं0 168 के पश्चिम तरफ कुछ समय से कब्जा किये थे जब पश्चिम तरफ रास्ता निकल गया तो अनावेदकगण ने रास्ता बाले भूमि के एवज मे जहॉ आवेदकगण पुस्तैनी ढंग से लाएनं के लिए प्राप्त विवादित भूमि के तरफ काबिज है उस तरफ बढ़ने लगे जहॉ उनका कोई नक्शा तर्मीम नही था।

इन दोनो मुख्य प्रश्नो का निराकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण के सुने किया गया है। जिससे विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(296)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2936-II / 16 जिला–रीवा

मुस्ताक अहमद / भरोसा अहिर

(1)	(2)	(3)
24.04.19	1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 626 / अ–12 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2. यह प्रकरण दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे। (बी.एम.शर्मा), सदस्य III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0526	